पारसपात्त का आनलाइन ई–नीलामी बिक्री

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400 051, शाखा कार्यालय: 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, निकट डेल कैंपस, नोएडा, यूपी–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस। एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित की गई है, उसका कब्जा जो है वह, एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद एस्सेल संबंधित) द्वारा अपने पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार 22.11.2021 को कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। और उसे अब 10 फरवरी, 2022 को दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच 5 मिनटों के असीमित विस्तार के साथ "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा, जो रॉयल ताज एजेंसी अपने स्वामी मोहम्मद आरिफ खान के माध्यम से, मो. आरिफ खान पुत्र अली मोहम्मद और रिहाना की ओर से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय ऋण खाता संख्या LNDEL00215-160000249 के तहत दिनांक 04.01.2022 के अनुसार रु. 86,63,597/– (रुपए छियासी लाख तिरेसठ हजार पांच सौ सत्तानवे मात्र) की एक राशि तथा वसूली होने तक भावी लागू ब्याज के साथ––की वसूली कि लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 40,00,000/– (रुपए चालीस लाख मात्र) होगा और बयाना राशि रु. 4,00,000/– (रुपए चार लाख मात्र) होगी तथा केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी, 2022 को सायं 6.00 बजे (आईएसटी) होगी।

संपत्ति विवरण: स्वामित्वधारक प्लॉट नंबर 3, क्षेत्राधिमापन 100 वर्ग गज अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर, जो खसरा नं. 10/3 मिन से समाविष्ट है और जो ग्राम–घरौती खुर्द, परगना– लोनी, तहसील और जिला– गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित है उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करने द्वारा प्रतिभूत हित को प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता श्री राजेंद्र दहिया (91 8448264515), श्री रविंदर सिंह गोदारा (+91 9983999074), श्री आकाश सक्सेना (+91 8860001910) और श्री मनीष सती (+91 9855078208) से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट यानी www.kotak.com और/अथवा https://bankauctions.in/ में दिए गए लिंक https://www.kotak.com/en/bankauctions.html देखें।

स्थान: दिल्ली–एनसीआर, दिनांक: 07.01.2022 — प्राधिकृत अधिकारी: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

[विनियम–15(1)(ए)]/16(3) देखें
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)
4वां तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

केस नं.: ओए/84/2021

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (सम्मन)

एक्स. नं. 4030

पंजाब नैशनल बैंक

विरुद्ध

मनोज कुमार मण्डल एवं अन्य

सेवा में,

(1) मनोज कुमार मण्डल एवं अन्य पुत्री/पत्नी/पुत्र/अन्य– मै. संकल्प वर्ल्डवाइड ट्रेडलिंक के स्वामी, 70 बी/2, रामा रोड औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर पश्चिम, दिल्ली–110015, यहां पर भी : 32/1 प्रथम तल, पॉकेट डी–6, सेक्टर–6, रोहिणी, दिल्ली, यहां पर भी : 805, 8वां तल, पर्ल्स ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, यहां पर भी : ग्राम बेन, तहसील गनौर, जिला–सोनीपत, हरियाणा–131101

(2) श्रीमती सविता गुप्ता पत्नी श्री विपिन कुमार गुप्ता, भूखंड सं. 403, विराट को–ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली–110087

(3) श्री विपिन कुमार गुप्ता भूखंड सं.–403, विराट को–ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली–110087

(4) मै. वी के गुप्ता ट्रेड एलएलपी बी–5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली–110018

(5) मै. वी के गुप्ता ट्रेड एलएलपी बी–5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली–110018

(6) मै. सर्वराम इंटरप्राइजेज एलएलपी, बी–5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली–110018

न्यायालयी आदेश (सम्मन)

जबकि, ओए/84/2021 दिनांक 05.01.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 2,15,77,398.05/– के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानी समन्स/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, यानी कि प्रतिवादियों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:–

(i) न्यायालयी आदेश यानी सम्मन प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर कारण बताएं/दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करें;

(iii) संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निपटान से रोका गया है;

(iv) आप अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, उसको और/या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई, अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियां को, हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(v) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसी बिक्री आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूत हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास, अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण दाखिल करने और 16.02.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।

महामारी के अनवरत प्रसार के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए:– (i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगेय (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–।/और रिकवरी अधिकारी–।। द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के तहत उपलब्ध होंगे। (iii) किसी भी अत्यावश्यकता में, अधिवक्ता/वादीगण जो हैं, वो संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष संख्या 23748469 पर संपर्क कर सकते हैं।

आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के तहत निर्गत।

न्यायालयी आदेश (सम्मन) जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम)
छटा व सातवां तल, कोर-III, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सूचना आमंत्रण

भारतीय बाजार हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ नामांकन हेतु कॉर्पोरेट सेल्स एजेंसी/डायरेक्ट सेल्स एजेंसी/डीलरों, रिटेलरों एवं अन्य डिमाण्ड एग्रीगेटरों को फेज-II के लिए आमंत्रण की सूचना

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) सफल शुल्क मॉडल के अंतर्गत अपेक्षित कार्य क्षेत्र के साथ **कॉर्पोरेट सेल्स एजेंसी, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी, डीलरों एवं रिटेलरों तथा ईएससीओ, एनर्जी ऑडिटर्स/ऑडिट एजेंसियों सहित अन्य डिमाण्ड एग्रीगेटरों** का नामांकन करना चाहता है। ईईएसएल ने घरेलू/वैश्विक ओईएम के साथ तकनीक आधारित क्रिटिकल उपकरण के ऊर्जा दक्ष निर्माण में दीर्घावधि भागीदारियों के निर्माण की पहल की है। कंपनी अब **[एसईएसी | आरएआईएसई | उजाला | एनएमआरपी | आईईईएस | एसएलएनपी | एमएसएमई हेतु एसपीओ | अन्य उत्पाद]** के बाजारों में अपने विभिन्न मौजूदा एवं नये उत्पादों और सेवाओं की बिक्री बढ़ाना चाहती है।

विवरण 10 जनवरी, 2022 से हमारी वेबसाइट (www.eeslindia.org/enrollment/phase-II) पर उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी हेतु कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें :

ई-मेल : **services@eesl.co.in**, फोन : **(011) 42519576/584**, पता : ईईएसएल, कोर 3, सातवां तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

ऊर्जा दक्ष भारत का निर्माण करते हुए

शुद्धिपत्र

चीमा स्पिंटेक्स लिमिटेड
(CIN U17115CH1994PLC015140)
के प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यान के लिए
(निरंतर सीआईआरपी)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार 16 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित प्रपत्र जी के संदर्भ में, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है।

फॉर्म जी की पंक्ति संख्या 10 जिसमें कहा गया है कि ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है, इसमें संशोधन किया गया है और इसे इसके बाद 17 जनवरी, 2022 के रूप में पढ़ा जाएगा।

फॉर्म जी (ईओआई के लिए आमंत्रण) में अन्य सभी तिथियों को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

इस शुद्धिपत्र को चीमा स्पिनटेक्स लिमिटेड (CIN U17115CH1994PLC015140) के लिए अधिसूचि की अधिव्यक्ति के निमंत्रण के संबंध में 16 दिसंबर, 2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी फॉर्म जी (ईओआई के लिए निमंत्रण) के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(आलोक कौशिक)
चीमा स्पिनटेक्स लिमिटेड
के विषय में प्रस्ताव पेशेवर
(IBBI/IPA-002/IP-N00253/2017-2018/10767)

दिनांक: 07.01.2022
स्थान: चंडीगढ़

अंतिम बैठक के आयोजन की सूचना

कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959
फार्म नं. 155 (देखें नियम 329)
सदस्यगण स्वैच्छिक परिसमापन
कम्पनी का नामः कोमुटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 497 के अनुसरण में, उनके सामने एक खाता प्रस्तुत करने जिसमें परिसमापन किए जाने का और कम्पनी की संपत्ति का निपटान करने का और परिसमापक द्वारा दिए जा सकने वाले स्पष्टीकरण को सुनने और कम्पनी के विशेष संकल्प द्वारा कम्पनी और परिसमापक की लेखा बहियों और दस्तावेजों का निपटान किए जाने के तरीके का निर्धारण किए जाने के प्रयोजन हेतु उपरोक्त नामित कम्पनी के सदस्यों की आम बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय छठा तल, टॉवर–ए, पॉर्क सेन्ट्रा बिल्डिंग, सैक्टर–30, गुड़गांव, हरियाणा–122001 में सोमवार, 28 फरवरी, 2022 को अप. 2.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

स्थानः नई दिल्ली — **हस्ता/–**
दिनांकः 8 जनवरी, 2022 — **अरूण गुप्ता**
(कम्पनी के वैकल्पिक परिसमापक)

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

next date, purpose of case,orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Reajanesh Kumar
CNR NO: PBLD03-002222-2019
Next date : 09-02-2022

Notice To, Reajanesh Kumar Son Babu Singh Address- Hno 4 Pakwada Road, Kurma Nagar, Bichhola Bilari, Muradabad

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

next date, purpose of case,orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Furkan Ali
CNR NO: PBLD03-002242-2019
Next date : 09-02-2022

Notice To, Furkan Ali Son Of Sharafat Address- Vill. Khempur Rampur

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Vasudev
CNR NO: PBLD03-002226-2019
Next Date : 09-02-2022

Notice To, Vasudev S/o Dhawal Singh Address- Hno 15 Karagaina Ano V Bodoa Colony Bareilly

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

next date, purpose of case,orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Mukhtar Ali
CNR NO: PBLD03-002224-2019
Next date : 09-02-2022

Notice To, Mukhtar Ali Address- Village Sayyadpur, P.o. Rajpur Kesar Amroha Muradabad

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत **M/s IITL Nimbus-The Express Park View** के भूखण्ड संख्या–GH-03, सेक्टर–चाई–05 ग्रेटर नोएडा पर दिनांक 24.01.2019 को पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा **(Tower-K-1, Commercial & Club)** का अधिभोग प्रमाण पत्र **(Occupancy Certificate)** हेतु दिनांक 16.09.2021 आनलाईन के माध्यम से आवेदन किया गया है, तत्क्रम में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के प्रस्तर संख्या 4 sub section 2 of section 12 के अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declarations एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9.30 से सायं 6.00 बजे के मध्य नियोजन विभाग में व प्राधिकरण की वेबसाईट पर किया जा सकता है। मानचित्रों में उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नोएडा में स्थित नियोजन विभाग में सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नियो०/वास्तु०)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

प्ररूप ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

जी डी एम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	जी डी एम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	11 नवंबर 2005
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या	U51909DL2005PTC142470
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	11, नरिंदर भवन, 448, रिंग रोड, आजादपुर, दिल्ली–110033
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	06 जनवरी 2022
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**मनसिज आर्य** **पता :** 308–310, बी नंबर–30–31, अग्रवाल चैम्बर्स–II, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092 **ईमेल आईडी :** pcsmansij@gmail.com **फोन नं. :** 011-46518956, **मो.:** 9716092482 **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-2020/12939
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	**05 फरवरी 2022**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **जी डी एम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड** ने **06 जनवरी 2022** को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

जी डी एम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **05 फरवरी 2022** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 07 जनवरी 2022 — **हस्ता/–**
स्थान : नई दिल्ली — **मनसिज आर्य (परिसमापक)**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-2020/12939

[विनियम–15(1)(ए)]/16(3) देखें
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)
4वां तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

केस नं.: ओए/224/2021

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (सम्मन)

एक्स. नं. 3977

पंजाब नैशनल बैंक विरुद्ध मै. आर एम ट्रेडर्स एवं अन्य

सेवा में,

(1) मै. आर एम ट्रेडर्स एवं अन्य पुत्री/पत्नी/पुत्र/अन्य– अपने साझीदारों के माध्यम से, खसरा सं. 27/20, प्रकाश विहार, शाहबाद दौलतपुर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–110042, यहां पर भी : खसरा सं. 37/1/1, शाहबाद दौलतपुर शिव विहार, दिल्ली–110042, यहां पर भी : 87/1(4) ग्रांडे वैलेनिम कोल्वा, साउथ जीओआर, सैलसेटे गोवा–403708

(2) श्री सिद्धार्थ गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल, ए–2/498, सेक्टर–34, दिल्ली–110085 यहां पर भी : मकान सं. 278/सी, सपना रियल एस्टेट निकट पेट्रोसन्स चैपेल बेनौलिम, दक्षिण गोवा–403716, यहां पर भी : ब्लॉक बी–2 सी शेल रेजिडेंसी, वैनेलिम कोल्वा, सैलसेट, गोवा–403708

(3) श्रीमती अदिति गोयल पत्नी श्री अभिषेक श्रीवास्तव, ई–50, औद्योगिक क्षेत्र, सोनीपत, हरियाणा–131001, यहां पर भी : फ्लैट सं. 6, मैक्स हाइट, कुंडली जिला सोनीपत, हरियाणा–131028

न्यायालयी आदेश (सम्मन)

जबकि, ओए/224/2021 01.01.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 5,60,02,773.50/– के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानी समन्स/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, यानी कि प्रतिवादियों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:–

(i) न्यायालयी आदेश यानी सम्मन प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर कारण बताएं/दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करें;

(iii) संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निपटान से रोका गया है;

(iv) आप अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, उसको और/या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई, अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियां को, हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(v) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसी बिक्री आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूत हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास, अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण दाखिल करने और 21.02.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।

महामारी के अनवरत प्रसार के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए:– (i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेब एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगेय (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–।/और रिकवरी अधिकारी–।। द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के तहत उपलब्ध होंगे। (iii) किसी भी अत्यावश्यकता में, अधिवक्ता/वादीगण जो हैं, वो संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष संख्या 23748469 पर संपर्क कर सकते हैं।

आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के तहत निर्गत।

न्यायालयी आदेश (सम्मन) जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

शाखा : पंजाबी बाग (40630)
आर ओ दिल्ली सेन्ट्रल, ज़ोनः दिल्ली, फोन 011-41130202

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाबी बाग, नई दिल्ली शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार/गारंटर्स : मैसर्स एनके फॉम प्रा. लि., इसके निदेशकों (पैन नं. – AAACE0462D), पंजीकृत कार्यालय– 5/5777, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 यूनिट/कार्य गाँव खेकड़ा, दिल्ली–बागपत रोड, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश–250101, निदेशक / गारंटरः श्री मयंक जैन पुत्र भारत भूषण जैन, पैन नं. ADTPJ8911D, पताः मकान नं. 103, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 निदेशक/गारंटर श्रीमती लता जैन पत्नी भारत भूषण जैन, पैन नंबर AAHPJ5684Q पताः मकान नं. 103, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, गारंटर – श्रीमती सपना जैन पत्नी मयंक जैन, पैन नंबर ADUPJ4885F, पताः मकान नं. 103, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, कॉर्पोरेट गारंटरः मैसर्स पीयूएफ इंडिया प्रा. लिमिटेड, पैन नं. AAACP6878QV, पंजी. कार्यालय – 5/5792, देव नगर, करोल बाग, दिल्ली–110005** को एक मांग सूचना **Ref: : BH/SARFAESIA/02/2021-22 दिनांक 21.10.2021 और कब्जा सूचना Ref: PB/Sarfaesia/14/2021-22 दिनांक 27.12.2021 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 11,89,33,807.00 (रु. ग्यारह करोड नवासी लाख तैतीस हजार आठ सौ सात मात्र) और सविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर्स उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक **04.01.2022** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर्स तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाबी बाग, नई दिल्ली शाखा के प्रभार वास्ते राशि रू 11,89,33,807.00 (रु. ग्यारह करोड नवासी लाख तैतीस हजार आठ सौ सात मात्र) और सविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल/बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

**साम्यिक बंधक भूमि खसरा नं. 3000ए और 3000बी, गाँव खेकड़ा परगना, बागपत, मेरठ, यू.पी. में स्थित (औद्योगिक सम्पत्ति) खेकड़ा गाँव पंचायत के अंतर्गत, यह सम्पत्ति मैसर्स एनके फॉम प्रा. लि. के नाम पर है। प्लॉट क्ष